न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 33/018 तारीख रजू 10.09.2018

1 प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,भरतपुर जोन भरतपुर हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर :—आवेदक

बनाम

1 विजय कुमार मंगल पुत्र श्री पूरणमल मंगल जाति महाजन एफबीओ व मौके पर विक्रेता—फर्म पूरणमल नेमीचन्द चौवे जी का कटना/सूरजभान मार्केट, हिण्डौनसिंटी जिला करौली

2. मोहित मंगल पुत्र विजय कुमार मंगल जाति महाजन एफबीओ व प्रोपराइटर—फर्म पूरणमल नेमीचन्द चौवे जी का कटना/सूरजभान मार्केट, हिण्डौनसिंटी जिला करौली

3 छोटेलाल सैनी पुत्र श्री मोतीलाल सैनी, जाति माली एफबीओ व प्रोपराईटर फर्म—**SANWARIA AGRO FOOD PRODUCT H 17 riico industrial area kaladear jaipur 303801** निवासी प्लाट नं. 18 ए, प्रतापनगर विस्तार मुरलीपुरा जयपुर 302013

— अभियुक्तगण

जुर्म अंतगर्त धारा 26 की उपधारा (2)(ा) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय दिनांक 04.09.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,भरतपुर जोन भरतपुर हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 26 की उपधरा (2)(ा) धारा 52 का उल्लधंन के तहत गैरसायलान (अभियुक्त) के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है जिसमे गैरसायलान फर्म पूरणमल नेमीचन्द चौवे जी का कटना/सूरजभान मार्केट, हिण्डौनसिंटी जिला करौली का कार्य करता है जिसमे आम जनता को खाद्य पदार्थ के इस्तेमाल के लिऐ रिफाइण्ड पाल्म ऑयल(गिरधर ब्रॉड) है। इस खाद्व

पैकिटस् जॉच हेतु खरीद कर प्राप्त किये गये जिसे खाद्व विश्लेषक अलवर के यहॉ जॉच हेतु भेजा गया, नमूना 491 दिनांक 31.08.2017 जॉच रिपोर्ट मे उक्त नमूना सील पैक रिफाइण्ड पाल्म ऑयल(गिरधर ब्रॉड) मिसब्राण्डस् किस्म एवं सव स्टेण्डर्स किस्म का पाया गया है। इस आवेदन को साबित करने के लिऐ आवेदक ने प्रार्थना पत्र के साथ गजट नोटिफिकेशन ,गैरसायल नम्बर 1 का खाद्य पदार्थ रजिस्टेशन , माल खरीद रशीद,फार्म 5 ए, फर्द रिपोर्ट,खाद्य विश्लेषक अलवर की जॉच रिपोर्ट धारा 46(4) के नोटिस की प्रति, एवं अन्य सम्बन्धित फर्मो के नोटिस एवं अन्य कागजात तथा गवाहो के सूचि पेश कर गैरसायलान के विरूद्व कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज पंजीका कर गैरसायलान को तलब किया गया। जिसमे गैरसायान 1 व 2 जरिये वकालानतन उपस्थित आया। और नं. 3 उपस्थित नही है। गैरसालय नं. 1 व 2 की ओर से वकील गैरसायल ने जवाव पेश नही करते हुए सीधे ही बहस करने का निवेदन किया है।

उभय पक्षकारन अभिभाषक की बहस सुनी गई तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया ।

वकील अप्रार्थीयान ने अपने बहस कथन मे कहा गया है कि गैरसायल नं. 3 से माल खरीद कर आम जनता को बेचान किया जाता है। हमारे द्वारा सील पेंक पैकिटो में किसी प्रकार का मिलावट एवं मिथ्याछाप नही की जाती है। जैसा माल उसी के अनुसार आम जन को दिया जाता है गैरसायल नं. 1 खुदार बिक्रेता है। नं. 2 थोक का बिक्रेता है। नं. 3 इस माल को उत्पादन करती है। इसी के खिलाफ कार्यवाही किया जावे। अन्त में हमारे विरूद्व प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थीयान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध आवेदक के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक ने गैरसायल नम्बर 1 के प्रतिष्ठान से दिनांक 19.09.2017 को सील पैक रिफाइण्ड पाल्म ऑयल(गिरधर ब्रॉड) का नमूना लिया गया था जो खाद्व विश्लेषक अलवर द्वारा इसे मिसब्राण्र्डस एव सव स्टेण्डर्ड माना गया है। खाद्व विश्लेषक अलवर राजस्थान से प्राप्त रिपोर्ट एलओ 265 दिनांक 19.09.201 से सील पैक रिफाइण्ड पाल्म ऑयल(गिरधर ब्रॉड) मिसब्रण्र्डस एवं सव स्टेण्डर्ड किस्म का पाया जाना बताया गया है। इस प्रकार से गैरसायलान द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिसब्राण्र्डस एवं सव स्टेण्डर्ड का है। और इस जॉच रिपोर्ट की चुनौती देने हेतु आवेदक ने अभियुक्त को धारा 46(4) के तहत 30 दिवस का समय दिया गया था जिसकी प्राप्ति रसीद पत्रावली मे शामिल है। जहा पर वकील अप्रार्थीयान का कथन था कि हम खुदरा एवं थोक बिक्रेता है हमारे द्वारा गैरसायल नं. 3 नमूना आयुर्वेदिक का है और आयुर्वेदिक का होने पर आयुर्वेदिक प्रयोगशाला मे ही जॉच करानी चाहीऐ थी वहा पर

करने हेतु लाईसेन्स जारी किया हुआ है इस लाईसेन्स मे खाद्य पदार्थ विक्रय करने/खरीदने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमो की पूर्ण जॉच करने के उपरान्त ही आम जनता को विक्रय करना चाहिऐ था किन्तु गैरसायलान द्वारा इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नही देकर सीधे ही आम जनता को विक्रय किया गया है जो नमूना गुणवत्ताओ के आधार पर मानक अधिनियम के तहत नही है। यह नमूना मिसब्राण्र्डस एवं सव स्टेण्डर्ड होने पर इसके विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित है।

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जुर्म अंतगर्त धारा 26 की उपधारा 2(ा) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 के तहत अप्रार्थी को 6100/– रूपये अंकेन छः हजार सो रूपये के दण्ड से दण्डित किया जाता है अभियुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि सात दिवस में उक्त राशि न्यायालय में जमा कराई जावे तथा भविष्य मे खाद्य पदार्थ विक्रय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्राब्धानो के अनुसार आम जनता को खाद्व पदार्थ का विक्रय /उपभोग मे लिया जावे। निर्णय की प्रति खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
करौली